



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-30.09.2025

**विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना चोलापुर मे पंजीकृत पाक्सो एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 25000/- रु0 का अर्थदण्ड ।**

थाना चोलापुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0- 097/2020 धारा 376(3) भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त भरोस पुत्र जुरानी निवासी दशनीपुर थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चोलापुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक- 30.09.2025 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो -2 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त भरोस उपरोक्त को धारा 376(3) भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25000/- रुपये का अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन  
कमिश्नरेट वाराणसी।